

(7)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 1969/अग्रहायण 19, 1891

No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 1969, AGRAHAYANA 19, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 10th December 1969

G.S.R. 2752.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 49-Customs, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (3) against description of article "(a) carpet backing" in serial No. 1, for the existing entry, the entry "Rs. 300 per tonne" shall be substituted.

[No. 162/F. No. 6/51/69-Cus. I.]

K. NARASIMHAN, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1969]

सां. कां. निं. सं. 2752:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है एतद्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 49—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 1969 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 1 में “(क) कालीन का पीछे का भाग” वस्तु वर्णन के सामने स्तम्भ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “300 रु. प्रति टन” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं. 162/एफ सं. 6/51/69—सी. नु. 1]

हे. नरसिंहन, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATUM

In the Ministry of Home Affairs Notification No. 14/1069-Pub-I (Hindi version), dated 13th August, 1969 published in Gazette of India Extraordinary; Part II-Section 3-Sub-section(ii); dated 14th August, 1969, the G.S.R. should be read “1975” instead of “1875.”